न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **86/2017**

प्रार्थी :- बनाम अप्रार्थी :-

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. तेजाराम पुत्र उम्मेदराम जाखड़
जाति-जाट, निवासी-मेड़तासिटी,
हाल-पायस डेयरी-पातूस
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.02.05.2017**

उपस्थितः- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 01/05/2018**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार, जैतारण के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी **सरहद मौजा-पातुस, पटवार मण्डल-बिरोल, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 50/2 रकबा 2-06 बीघा** की आई हुई हैं। उक्त आराजी का वादी भूमि धारक (लैण्ड होल्डर) हैं, प्रतिवादीगण आराजी जैर बाहर के खातेदार काश्तकार हैं। **प्रतिवादी संख्या 01** ने साथ मिलकर जमीन वर्णित धारा 1 वाद-पत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएँ किस्म परिवर्तित कर **वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (डियरी प्लान्ट हेतु)** जमीन को खुर्दबुर्द कर रहे हैं, जिसका प्रतिवादी को कोई हक नहीं प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की हैं, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुक्शान हुआ हैं। प्रतिवादी द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादी को जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित हैं। दावा हाजा के लिए बिनाय मुखासमत दिनांक 06/04/2017 को पैदा हुआ, जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादी द्वारा जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र के अवैध रुप से **वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (डियरी प्लान्ट हेतु)** का कार्य करने की सूचना जरिए रिपोर्ट दी।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की और से वकालातनामा पेश हुआ। जबाब पेश करने का समय चाहा गया। आज राजस्व लोक अदातल अटल सेवा केन्द्र-बिरोल में पेश हुई। वकील अप्रार्थी ने जबाब कार्यवाही का फहरिश्त दस्तावेजात यथा भू-रुपान्तरण आदेश का पट्टा की छाया प्रति पेश की। सा0मि0 हैं। उपस्थित सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। जबाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया गया कि मौजा-पातुस में स्थित भूमि 50/2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के बाबत् भू-राजस्व अधिनियम व भू-रुपान्तरण प्रावधान अनुसार नगर नियोजक, नगरपालिका जैतारण, भूमि रुपान्तरण अधिकारी ने विधिक कार्यवाही पूर्ण कर ग्राम पंचायत-बिरोल

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

से अनापति प्रमाण पत्र लेकर इस भूमि को वास्ते वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ व औधोगिक प्रयोजनार्थ हेतु भू–रुपान्तरण करते हुए राजस्व रेकर्ड में भूमि को कृषि भूमि से हटा कर वास्ते वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक एवं औधोगिक प्रयोजनार्थ हेतु जारी किया जा चुका है। इस प्रकार से उक्त भूमि अब कृषि भूमि नहीं रही है। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही खारिज योग्य है। पद संख्या दो, तीन, चार, पांच, छह में वर्णित तथ्यों को स्वयं प्रार्थी साबित करे। लेकिन इस कार्यवाही चाही गयी अनुतोष प्रार्थी पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही खारिज योग्य है। जबाब कार्यवाही पेश कर निवेदन है कि उक्त कार्यवाही खारिज योग्य होने से खारिज फरमावे।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। वस्तुतः वकील अप्रार्थी ने उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 50/2 का वास्ते वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु रुपान्तरण करवाकर उक्त भूमि का पट्टा कार्यालय नगरपालिका, जैतारण द्वारा जारी दिनांक 13/05/2015 का प्रस्तुत किया हैं। जिसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया गया। उक्त भूमि का भू–रुपान्तरण वास्ते वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हो जाने से उक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बिरोल पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner